न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 126/2011

देवीलाल पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी सिंगरासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज द्वारा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

––रेस्पोंडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

दिनांक 26.09.1995

उपस्थिति :–

श्री रामप्रताप तिवाडी, अभिभाषक अपीलांट

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 28.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 26.09.1995 द्वारा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 01.10.83 द्वारा अप्रार्थी देवीलाल पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण साकिन सिंगरासर तहसील सूरतगढ को ग्राम सिंगरासर के खसरा नम्बर 115मि0/6.224, 1023/88/0.392 कुल 6.616 है0 आवंटन की गई भूमि जोकि जोहड़ पायतन से सम्बन्धित थी को नियम विरूद्ध आवंटन मानते हुए राज. भू–राजस्व(कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत उक्त आवंटन को

28/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रा.पत्र मय शपथ पत्र सहित पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ने दिनांक 01.10.1983 को अपीलाधीन भूमि को गैर जोहड़पायतन एवं शुद्ध रकबा राज मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को आवंटन की है। इस आवंटन के खिलाफ राजनीतिक रंजिशवश सूरतगढ पंचायत समिति प्रधान द्वारा एक सामुहिक शिकायत की गई है कि उक्त आवंटन बिना सलाहकार समिति की राय से जोहड पायतन भूमि का आवंटन किया गया है जो खारिज फरमाया जावे। उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांट की सम्पूर्ण पात्रता की जांच करने के उपरांत ही इस भूमि का आवंटन किया है। अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में अपीलांट को दिनांक 31.05.2011 तक जानकारी नहीं थी, हल्का पटवारी से इस बारे में जानकारी होने पर, वकील से सम्पर्क कर एवं नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रा.पत्र मय शपथ पत्र सहित अपील पेश कर दी। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इसके अलावा अपीलांट ने उक्त अपील लगभग 20 वर्ष पश्चात पेश की है और अपील देरी से पेश करने का उचित तर्क भी नहीं दिया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

28/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 26.09.1995 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें निर्णय का आधार विवादित आवंटित भूमि जोहड़ पायतन होकर आवंटन कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय अनुसार जोहड़ पायतन की भूमियां किसी भी रूप में न तो आवंटन योग्य है , न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार दिये जाने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

28/7/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)